

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 11851/ 3623

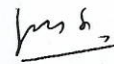
दिनांक:- 05-07-2019

कार्यालय आदेश

श्री गोपी कृष्ण यादव लिंक: नं.-11851 कनि0 लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 26.09.2018 से 28.09.2018 एवं 10.12.2018 तक कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री गोपी कृष्ण यादव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 11851/ 3623
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक:- 05-07-2019

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री गोपी कृष्ण यादव लिंक: नं.-11851 कनि0 लेखाकार, कार्यालय प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम, लिमिटेड जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-।।।)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12565 / 3624

दिनांक :- 05-07-2019

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री कोमल सैनी [लिंक न. 12565] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच, विधि विभाग, जयपुर - [24717] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/11/2017 से 08/11/2017 तक 8 दिवस

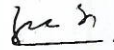
दिनांक 07/05/2018 से 16/05/2018 तक 10 दिवस

दिनांक 20/05/2019 से 20/05/2019 तक 1 दिवस

दिनांक 13/06/2019 से 13/06/2019 तक 1 दिवस

कुल 20 दिवस

उक्त कुल 20 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री कोमल सैनी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12565 / 3624

दिनांक :- 05-07-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच, विधि विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री कोमल सैनी [12565] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच, विधि विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 10196/ 3626

दिनांक:- 05-07-2019

कार्यालय आदेश

श्रीमती वीना खानचंदानी लिंक: नं.-10196 कनि0 लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी कोषालय उदयपुर(ग्रामीण) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 26.09.2018 से 27.09.2018 तक (2 दिवस)

उक्त कुल 2 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती वीना खानचंदानी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 10196/ 3626
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक:- 05-07-2019

1. कोषाधिकारी, कोषालय उदयपुर (ग्रामीण)
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- ✓ 3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमती वीना खानचंदानी लिंक: नं.-10196 कनि0 लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोषालय उदयपुर (ग्रामीण)
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-।।।)